की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

1298. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित किराया नियंत्रण अधिनियम में ऐसे व्यवसायिक भवनों को, जो कि अनेक वर्षों से बहुत कम किराये पर व्यावसायिक घरानों के कब्जे में है, उन्हें खाली कराने या उनका किराया वर्तमान दर पर लाने के लिये कोई उपबंध न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) ऐसे मामलों में इन व्यापारिक दुकानों के संबंध में तथा फ्लैट मालिकों को राहत दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक परिसरों के संबंध में दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 के विद्यमान प्रावधानों को पर्याप्त समझा गया है तथा इस प्रकार, वाणिज्यिक भवनों को खाली करवाने के लिये संशोधी विधेयक में विशिष्ट प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है । इसी प्रकार से अधिनियम की धारा 6 और 7 में उल्लिखित प्रावधानों को जहां तक मानक किराये का संबंध है, उपयुक्त पाया गया । तथापि, किसी परिसर के संबंध में प्रत्येक तीन वर्षों में किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये एक नये प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है । इससे भवन के रखरखाव की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति करके मकान मालिकों को राहत मिलेगी ।

पम्प सैटों और ट्रैक्टरों के मूल्य

1299. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को विभिन्न प्राधिकृत एजेंसियों/कम्पनियों से ट्रैक्टर और पम्प की खरीद करने पर खुले बाजार की तुलना में अधिक धन व्यय करना पड़ता है, यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा किन-किन कम्पनियों/एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है ; और

(ग) विभिन्न श्रेणी के पम्प सैटों और ट्रैक्टरों के खुले बाजार में तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों के अलग-अलग मूल्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ट्रैक्टरों और पम्प सेटों की बिक्री पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है । ट्रैक्टरों और पम्प सैटों के मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि ये मूल्य अश्वशक्ति और उपकरणों की किस्म पर निर्भर होते हैं और ये एक निर्माता से दूसरे निर्माता के पास भिन्न-भिन्न किस्म के होते हैं । ट्रैक्टरों और पम्प सेटों की बिक्री निर्माताओं के डीलरों के माध्यम से की जाती है ।

(ख) सरकार ने पम्प सैटों और ट्रैक्टरों की बिक्री के लिये किसी भी कम्पनी को विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Employment for persons returning from Gulf countries

1300. SHRI V. .NARAYANASAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indians who are employed in Gulf countries are returning since their jobs were over in the Gulf States; and

(b) if so, what is (he package scheme Government propose to implement for giving employment to them?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRl BINDESHWARI DUBEY); (a) Yes, Sir.